

प्रश्नांश (क) का उत्तर

विधान सभा प्रश्न क्रमांक- 4147 (तारांकित) की जानकारी

म.प्र. में पेट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी. पर वेट एवं प्रवेशकर की दर।

परिशिष्ट

अ. क.	वस्तु का नाम	वेट की दर	प्रवेशकर की दर (प्रतिशत में)
1	पेट्रोल	31% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)	1%
2	डीजल (एच.एस. डी.)	अतिरिक्त कर - 4 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 18.08.2016 से प्रभावशील) 27% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)	1%

	अतिरिक्त कर - 1 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील	
3	डीजल (एल.डी.ओ.) 14% (मूल्य आधारित) (दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील)	1%
4	एल.पी.जी (घरेलू) 5% (मूल्य आधारित)	2%
5	एल.पी.जी (व्यवसायिक) 14% (मूल्य आधारित)	2%
दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील।		

उत्तुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

संचालक
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

31/01/17